न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार–उत्पाद अधिहरण वाद सं0–71/2017–18 राज्य बनाम मुकेश कुमार एवं नाजनी खॉन

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
10.10.2017	**आदेश** पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 2326/हि0शा0, दिनांक 28.07.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि धारा 188/120बी0/34 भा0द0वि0 एवं धारा 30(ए) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत मानसी थाना कांड संख्या–137/17 में वादी स0अ0नि0 श्री रणजीत कुमार एवं श्री जय कुमार प्रसाद द्वारा गुप्त सूचना के आधार इंडिगो कार गाड़ी नं0–BR-01BD-2573 एवं स्कॉरपियो वाहन नं0–BR-11Q-1877 पर रॉयल स्टेग कम्पनी का 375 एम0एल0 का 336 (तीन सौ छतीस) बोतल ब्लान्डरर्स प्राईड कम्पनी का 750 एम0एल0 का 06(छः) बोतल एवं इम्पेरियम ब्लु कम्पनी का 750 एम0एल0 का 12(बारह) बोतल शराब बरामद किया गया। जप्त वाहन का उपयोग राज्य में शराब लाकर खरीद–बिक्री किया जा रहा था। उक्त कांड में जप्त वाहन को अधिहरण करने का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ प्राथमिकी, तलासी सह जप्ती सूची, पुलिस निरीक्षक सदर खगड़िया का पर्यवेक्षण टिप्पणी संलग्न है। अभिलेख में मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (ए) के अन्तर्गत तलासी सह जप्ती सूची की प्रारंभिक रिपोर्ट संलग्न है। प्रतिवेदन में जप्ती का विवरण स्पष्ट है जो अधिहरण प्रस्ताव में वर्णित स्थिति को सम्पुष्ट करता है। जप्ती की विवरणी निम्नवत हैः– जप्ती सूची के अनुसार थानाध्यक्ष को मिली गुप्त सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष के निर्देश पर स0अ0नि0 जय कुमार प्रसाद मानसी थाना के द्वारा सशस्त्र बल के साथ बोढ़न मालाकार लाईन होटल के पास पहुँचे तो देखे कि एक टाटा कम्पनी का इंडिगो कार नम्बर बी0आर0–01बीडी0–2573 सफेद रंग की गाड़ी खड़ी है और उसका चालक आगे सीट पर सोया हुआ था। गाड़ी चालक को उठाया गया तो गेट खोलकर बाहर निकला तथा पुलिस बल को देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे वादी ने पुलिस बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। विधिवत तलासी ली गयी तो इंडिगो कार के डिक्की से 14 कार्टून रॉयल स्टेग का 375 एम0एल0 का 336 बोतल विदेशी शराब तथा ब्लान्डरर्स प्राईड कम्पनी का 750 एम0एल0का 06 बोतल एवं इम्पेरियल ब्लू कम्पनी का 750 एम0एल0 का 12 बोतल विदेशी शराब जप्त किया गया। प्राप्त अधिहरण प्रस्ताव के आलोक में सभी संबंधितों को विधिवत सूचना निर्गत कर सुनवाई की निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष	

रखने का निदेश दिया गया।

ज्ञापांक 300/डी0बी0/विधि दिनांक 07.09.2017 से विपक्षी मुकेश प्रसाद सिह पिता–स्व0 राजेन्द्र प्रसाद सिंह, ग्राम–बसगढा कोढा, जिला–कटिहार एवं ज्ञापांक 301/डी0बी0/विधि,दिनांक 07.09.2017 से नाजनी खॉन पति–मो0 मंसूर खान ग्राम देवना तिलरथ बरौनी ,जिला–बेगूसराय को नोटिस निर्गत किया गया तथा डी0बी0 नं0–299/विधि, दिनांक 07.09.2017 से पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय तथा डी0बी0 नं0 298/विधि, दिनांक 07.09.2017 से पुलिस अधीक्षक, कटिहार को नोटिस तामिला हेतु भेजा गया। इसके साथ ही दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" के दिनांक 06.10.2017 से सूचना प्रकाशित कराया गया।

डी0बी0नं0–218/विधि, दिनांक 3.08.2017 एवं 219/विधि, दिनांक 03.08.2017 से से क्रमशः जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णिया से गाड़ी निबंधन पंजी से इसका सत्यापन कर गाड़ी मालिक का नाम एवं पता की मांग की गयी तथा डी0बी0नं0 248/विधि, दिनांक 16.08.17 से जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना तथा डी0बी0नं0 249/विधि, दिनांक 16.08.2017 से जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णिया को स्मारित किया गया।

जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 7920 दिनांक 16.08.17 से वाहन स्वामी का नाम एवं पता प्रतिवेदित किया गया जिसमें अंकित किया गया कि वाहन संख्या–BR01BD 2573 चेसिस नं0–MAT601462BPE39890 इंजन नं0 14CRAIL08EYYW 13529 वाहन का निवंधन श्रीमती नाजनी खॉन पति मो0 मंसुर खॉन पता–देवना तिलरथ बरौनी जिला–बेगूसराय के नाम से निबंधित है।

विपक्षी नाजनी खॉन पति मो0 मंसूर खॉन की ओर से कारण पृच्छा दायर किया गया। उनका कहना है कि टाटा इंडिगो ECS Lx कार निवंधन संख्या– BR01BD 2573 चेसिस नं0–MAT601462BPE39890 इंजन नं0 14CRAIL08EYYW 13529 मोडल 2011 वाहन के वे मालिक हैं तथा उक्त उनकी वाहन का मानसी थाना कांड संख्या–137/17 से कोई संबंध नहीं है। उक्त वाहन उनके अधीन है और उसका उपयोग वे कर रही है। इसकी जॉच किसी एजेन्सी से करायी जा सकती है। वे स्वयं, उनके पति या उनके कोई भी संबंधी द्वारा इस कार का उपयोग शराब कारोबार के लिए नहीं किया गया है। आरोपी द्वारा धोखाघड़ी कर उनके इंडिगो का पंजीकरण संख्या का प्लेट जब्त वाहन पर लगाया है।

उनका यह भी कहना है कि मानसी थाना कांड संख्या–137/17 में जब्त किये गये इंडिगो कार को अधिहरण किया जाता है तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा वाहन स्वामी का नाम एवं पता प्रतिवेदित किया गया जिसमें अंकित किया गया कि वाहन संख्या

BR11Q1877 चेसिस नं0–MA1TH2MWNE2G49797 इंजन नं0 MWE4F22872 Model- SCORPIO LX RF HWK BS3 वाहन का निबंधन मुकेश प्रसाद सिंह पिता–स्व0 राजेन्द्र प्रसाद सिंह, ग्राम– बसगढा, कोढ़ा, कटिहार के नाम से निबंधित है।

विपक्षी मुकेश प्रसाद सिह, पिता–स्व0 राजेन्द्र प्रसाद सिंह, ग्राम–बसगढा, कोढा, जिला–कटिहार को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया, परन्तु वे जानबुझकर प्रक्रिया को बाधित करने के दृष्टिकोण से सुनवाई के प्रक्रम में उपस्थित नहीं हुए। उनकी अनुपस्थिति से स्पष्ट है कि वे न्यायालय की प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न कर न्यायालय की प्रक्रिया को लम्बा कर अंतिम निर्णय से बचना चाहते हैं। इस स्थिति में विपक्षी को सुनवाई का और अधिक अवसर दिया जाना न्यायहित में नहीं है।

पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 2326/हि0शा0, दिनांक 26.07.2017 के साथ संलग्न पु0अ0नि0 मानसी थाना के अधिहरण प्रस्ताव एवं जप्ती सूची के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत वाहन इंडिगो ECS कार चेसिस नं0–MAT601442BPD 34454 इंजन नं0 TYPE-4751DT14 No BXYP14907 एवं वाहन संख्या–BR11Q1877 चेसिस नं0– MA1TH2MWNE2G49797 इंजन नं0 MWE4F22872 Model- SCORPIO LX RF HWK BS3 जो शराब कारोबार के लिए इश्तेमाल किया जा रहा था, जो वर्त्तमान में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है तथा इसमें प्रयुक्त वाहन अधिहरण योग्य है।

सुनवाई के क्रम में विशेष लोक अभियोजक द्वारा इस कांड में विधिवत की गयी जप्ती एवं प्रश्नगत वाहन को अधिनियम की धारा 58 (2) के अन्तर्गत अधिहरण योग्य बताया गया। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सभी प्रतिवेदनों से स्पष्ट है कि टाटा इडिगो ECS कार चेसिस नं0 MAT601442BPD 34454 इंजन नं0 TYPE-4751DT14 No BXYP14907 एवं वाहन संख्या– BR11Q1877 चेसिस नं0–MA1TH2MWNE2G49797 इंजन नं0 MWE4F22872 Model- SCORPIO LX RF HWK BS3 का इश्तेमाल शराब के कारोबार के लिए किया जा रहा था, जो संदर्भित अधिनियम अन्तर्गत राज्य में पूर्णतः निसिद्ध होने के कारण संज्ञेय अपराध है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रश्नगत वाहन ECS कार चेसिस नं0– MAT601442BPD 34454 इंजन नं0 TYPE-4751DT14 No BXYP14907 एवं वाहन संख्या– BR11Q1877 चेसिस नं0–MA1TH2MWNE2G49797 इंजन नं0 MWE4F22872 Model- SCORPIO LX RF HWK BS3 को मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत अधिहरण किये जाने योग्य है। अतः निम्नलिखित आदेश दिया जाता है कि:-
:–

1. इस अपराध में प्रयुक्त वाहन टाटा इंडिगो ECS Lx कार चेसिस नं0

MAT601442BPD 34454 इंजन नं0 TYPE-4751DT14 No BXYP14907 एवं वाहन संख्या– BR11Q1877 चेसिस नं0–MA1TH2MWNE2G49797 इंजन नं0 MWE4F22872 Model-SCORPIO LX RF HWK BS3 जो जप्त कर मानसी थाना में रखा हुआ है, को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58(2) के अन्तर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किये जाने वाला वाहन किसी भी ऋणभार से मुक्त होगा। साथ ही लोकहित में आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा 58(5) के अन्तर्गत सार्वजनिक निलामी के माध्यम से इसकी बिक्री की जाए।

2. जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि थाना में जप्त वाहन इंडिगो ECS कार चेसिस नं0–MAT601442BPD 34454 इंजन नं0 TYPE-4751DT14 No BXYP14907 एवं वाहन संख्या–BR11Q1877 चेसिस नं0–MA1TH2MWNE2G49797 इंजन नं0 MWE4F22872 Model- SCORPIO LX RF HWK BS3 का मोटरयान निरीक्षक, खगड़िया से मुआयना कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर समर्पित करेंगे।

3. सार्वजनिक निलामी की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया की देख–रेख में की जायेगी और निलामी से प्राप्त धन राशि सरकारी खजाने में विहित रीति से जमा की जायेगी।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्ता, खगड़िया। 16/11/17

न्यायालय समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी खगड़िया (बिहार)

समाहर्ता, खगड़िया। 16/11/17

ज्ञापांक 438 / विधि दिनांक – 13.11.2017

प्रतिलिपि:- जिला परिवहन पदाधिकारी खगड़िया / उत्पाद अधीक्षक खगड़िया / थानाध्यक्ष खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी खगड़िया को सूचनार्थ एवं प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

ह० 16/11/17

प्रभारी पदाधिकारी
विधि शाखा खगड़िया
13/11/17